संख्या:-3320/ एक-10-2019-12(34)/03 टीसी-I

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,
सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा, शाहजहॉपुर, प्रतापगढ, कन्नौज, सिद्वार्थनगर, पीलीभीत, रामपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक: 18 जनवरी, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समसयाओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने हेतु धनावटंन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018-19 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समसयाओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने के लिए धनावंटन हेतु एमएचए के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिं0: 08.04.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन के आइटम नं0-3(क) के प्राविधान-प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्योथिंग मेडीकल केयर, इटीसी फार पीपुल अफेक्टेड इवैकुवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प के अनुसार गृह विहीन/ निराश्रित/ असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु **रू0 1,56,73,500/-(रूपये एक करोड़ छप्पन लाख तिहत्तर हजार पॉच सौ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रम	जनपद क नाम पत्रांक/दिनांक:	कम्बल क्रय किए जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये मे)	अलाव जलाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये मे)	जनपद हेतु स्वीकृत कुल धनराशि (रूपये मे)
1	2	3	4	5
1	गोण्डा, पत्रांक: 555, दिं0: 07.01.2019	20,00,000	2,00,000	22,00,000
2	शाहजहॉपुर, पत्रांक: 350, दिं0: 06.01.2019	25,00,000	---	25,00,000
3	प्रतापगढ़, पत्रांक: 1994, दिं0: 05.01.2019	25,00,000	---	25,00,000

Scanned by CamScanner

4	कन्नौज, पत्रांक: 890, दि0: 05.01.2019	1,73,500	1,00,000	2,73,500
5	सिद्धार्थनगर, पत्रांक: 429, दि0: 05.01.2019	25,00,000	2,50,000	27,50,000
6	पीलीभीत, पत्रांक: 112, दि0: 04.01.2019	25,00,000	2,50,000	27,50,000
7	रामपुर, पत्रांक: 684, दि0: 04.01.2019	24,00,000	3,00,000	27,00,000
	कुल योग	**1,45,73,500**	**11,00,000**	**1,56,73,500**
	(रूपये एक करोड़ छप्पन लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)			

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय''** के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-3271/एक-10-2018-12(34)/03 टीसी-।,दिनांक: 19.11.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी),
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।

4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ०प्र०।

5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जी0एस0 प्रियदर्शी),
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner